न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 46 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

श्रीमती सीता देवी पत्नी खेमराज जी दर्जी, निवासी पूजानगर झाडोल, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
आदे ा उपखण्ड अधिकारी, झाडोल
प्रकरण क्रमांक–2 प ( ) राजस्व /
2014 / 456 दिनांक 25–02–2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 14–12–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार झाडोल के प्रस्ताव पर अपने आदे ा दिनांक 25–02–2014 से ग्राम झाड़ोल की आराजी नंबर 626 रकबा 2.7335 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2993 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि ग्राम पंचायत झाडोल को आबादी में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13–07–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपील के साक्ष धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा तथाकथित आदे ा उन्हें बिना सूचना दिये एवं बिना सुने पारित किया गया है, जिससे उक्त आदे ा की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी। दिनांक 05–07–2017 को कुछ लोग रास्ते की तरफ निर्माण कार्य करने लगे तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई देरी नहीं की गयी है। अतः दिनांक 25–02–2014 से 05–07–2017 तक की समयावधि को कण्डोन किया जावे। ताईद में भापथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर की गयी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 25–02–2014 की अपील इस न्यायालय में 60 दिवस में अर्थात दिनांक 24–04–2014 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु अपील दिनांक 13–07–2017 को अर्थात करीब 3¼ वर्श विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही इतनी लम्बी अवधि के लिए पर्याप्त कारण है। तद्नुसार अपील मात्र मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा आदे ा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। ताईद में भापथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त दस्तावेजों का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं। अतः न्यायहित में इन्हें रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जा.दी. का भी आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं बताया कि कथित जमीन में आम रास्ते की जमीन को भाामिल करते हुए रूपान्तरण किया गया है। अगर पंचायत द्वारा आबादी भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया तो प्रार्थी अपने जमीन पर नहीं आ जा सकेगा। इस कारण प्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति होने से उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में विवादित आराजी नंबर 626 रकबा 2.7335 हैक्टरएवं आराजी नंबर 2993 रकबा 0.13 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested

बिलानाम काबिल का त दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदे ा से उक्त आराजी नंबर 626 रकबा 2.7335 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2993 रकबा 0.13 हैक्टर को ग्राम पंचायत झाडोल को आबादी विस्तार हेतु आबादी में रूपान्तरित किया है, जिससे हम अपीलान्ट को किसी प्रकार से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं।

जहां तक गुणावगुण का प्र न है, विद्वान वकील अपीलान्ट का मुख्य उजर यह है कि रूपान्तरित आराजियात से वह अपनी खातेदारी के खेतों पर आता जाता है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम गैर काबिल का त दर्ज है, जिसमें रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि अपीलान्ट के पास अपने खेतों पर आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए अपीलान्ट को रास्ते हेतु अलग से चाराजोही करनी चाहिए थी, किन्तु बिलानाम गैर काबिल का त की भूमि का जो आबादी रूपान्तरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत झाडोल के नाम किया गया है, उसमें हम प्रथम दृश्टया किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने, अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने एवं गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–02–2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested